B.M.A. College Baheri Darbhanga (L.N.M.U)
B.A. (Hons) Part-II Paper-III (Economics)

08-9-2020

व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र,

Dr. S. K. Singh.
Deptt of Economics

इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र या आर्थिक समष्टिभाव (Macro Economics) अर्थशास्त्र की वह शाखा है, जो किसी एक इकाई का नहीं वरन् सभी इकाइयों, यानि समष्टि के आर्थिक आचरण अथवा व्यवहार का अध्ययन करता है। आर्थिक समष्टिभाव वास्तव में, आर्थिक समूहो का अध्ययन है। (Macro economics May be defined as that branch of economics analysis Which studies the behaviour of not one particular unit but of all the units combined together, macro economics. therefore, is a study of aggregates) इसलिए कभी कभी इसे सामूहिक अर्थशास्त्र (Aggregated Economics) भी कहते हैं। आर्थिक समष्टिभाव सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। यह अर्थ व्यवस्था की सामूहिक दशा का अध्ययन करता है। इसमे हम अर्थ व्यवस्था में कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत एंव कुल विनियोग (Aggregate Investment) का अध्ययन करते हैं प्रो० बोल्डिंग (Kenneth E. Boulding) के शब्दों में, "आर्थिक समष्टिभाव व्यक्तिगत मात्राओं से नही वरन उन मात्राओं के समूहों से सम्बंधित है। यह व्यक्तिगत आय से ही नही वरन राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत कीमत से नहीं वरन सभी परिवारों से एक फर्म से नहीं वरन् अर्थ व्यवस्था की सभी फर्मों से, एक उद्योग से नहीं वरन अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण औद्योगिक संस्थान से सम्बन्धित है। इस प्रकार आर्थिक समष्टिभाव व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयों का नहीं वरन आर्थिक प्रणाली के औसतो एंव समूहों का अध्ययन है।

व्यापक अर्थशास्त्र का विकास (Evolution of the Macro Economics) इस प्रकार आधुनिक समय में व्यापक अर्थशास्त्र का विकास मुख्य रूप से J.M. Keynes के नाम से ही सम्बंधित है।

B.M.A. College Baheri Darbhanga (LNMU)
B.A (Hons) Part - I Paper - II

Page No. 1
Date 18.8.2020

भारत में सामाजिक सुरक्षा के उपाय,

Dr. S.K. Singh
Deptt of Economics

Social Security measures in India,

किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में व्यापारिक उच्चावचनों (Business fluctuations) के कारण बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती-घटती रहती है इस प्रकार श्रमिकों की बीमारी, औद्योगिक दुर्घटना और वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता चाहिए। श्रमिकों के पास पूंजीपतियों की भांति कोई संचित सम्पत्ति तो नहीं होती, जिसका वे इन कठिनाइयों के समय प्रयोग कर सके। स्वाभाविकत: राज्य सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है, कि श्रमिकों को इन विपत्तियों के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा दे। पश्चिमी देशों में राज्य सरकारों ने बीमारी तथा बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा और वृद्धावस्था में दुर्घटनाओं की हालत में कुछ सहायता देने के कुछ उपाय किए है। सामुहिक रूप से इन सभी उपायों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) उपाय कहते है। चाहे बहुत से देशो में कई दशाब्दियों पहले सामाजिक सुरक्षा के उपाय लागू किए जा चुके थे, भारत में स्वतंत्रता के बाद इस ओर ठीक तरह से ध्यान दिया गया। इसका कारण एक ओर तो श्रम कल्याण क्रियाओं (Labour welfare activities) मे राज्य सरकार की रुचि और सहानुभूति का अभाव था। परन्तु दूसरी ओर मजदूरी से सम्बंधित संघों द्वारा इन उपायों के लिए अपनी मांगो पर बल देने का अभाव था। किन्तु सत्य तो यह है, कि मजदूरी और वेतन प्राप्त करने वाले वर्गों में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को सदैव महसूस किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व सामाजिक सुरक्षा 1923 मे भारत मे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act) पास किया गया।